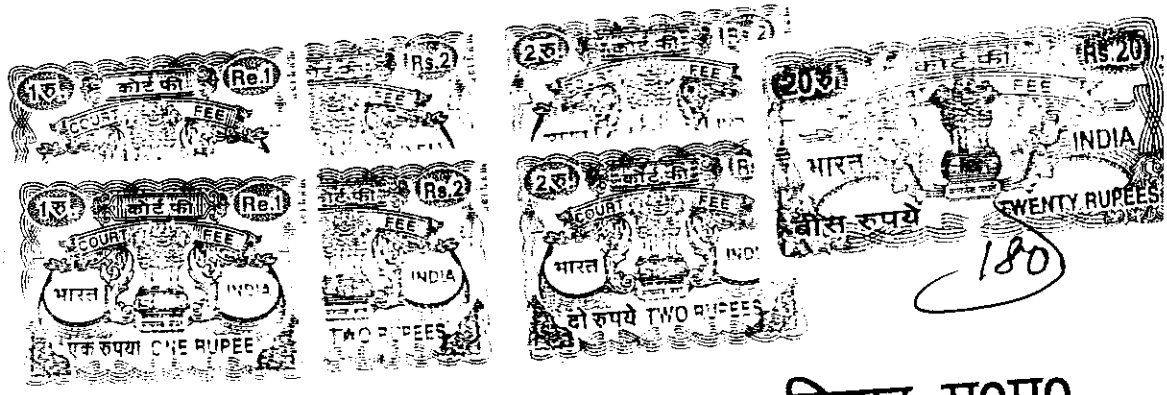

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

निग - 1984 - I - 16 सन् 2015–16

निगरानी प्रकरण क्रमांक

दिलीप सिंह पिता बीरमणि सिंह यादव

निवासी राजनगर, तहसील राजनगर,

जिला छतरपुर म0प्र0

(स्व0 वंशगोपाल के विधिक प्रतिनिधि)——— निगरानीकर्ता

बनाम

म0प्र0 शासन ——— गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 के तहत विरूद्ध अपर आयुक्त सागर के प्रकरण क्रमांक 631/अ–6/2006–07 में पारित आदेश दिनांक 05.09.08

महोदय,

निगरानीकर्ता निम्न लिखित निगरानी सादर प्रस्तुत करता हैं :–

–: निगरानी का सारांश :–

यह कि स्व0 बंशगोपाल पिता गजाधर निवासी खजुराहो को मकान निर्माण हेतु खजुराहो की भूमि खसरा नं0 1775/1 रकवा 0.012 हे0 तहसीलदार राजनगर के प्रकरण क्रमांक 08/बी–121/1962–63 में पारित आदेश दिनांक 10.04.1963 के द्वारा प्रदाय की ग थी। तथा उसी अनुसार राजस्व अभिलेख में उसके नाम से भूमि दर्ज कर दी गई। चूंकि भू मकान निर्माण हेतु प्रदाय की गई थी। इसलिये उसका भू–परिवर्तन करके भू–भाटक के रूप 1.02 रू0 भू–राजस्व भी निर्धारित कर दिया गया जो कि उसके द्वारा समय–समय पर ज किया गया। आवेदक के नाम से वर्ष 1963 से लेकर वर्ष 1992–93 तक खसरे में उसका न विधिवत दर्ज रहा इस प्रकार 30 वर्षों तक उसके नाम से भूमि रही आई। वर्ष 1993 तहसीलदार महोदय राजनगर द्वारा स्वप्रेरणा निगरानी प्रकरण दर्ज करते हुये मनमाने व विधि

क्रमशः//2/

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1984–एक/2016 जिला–छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
18.10.16	यह निगरानी आवेदक द्वारा अपर आयुक्त, सांगर संभाग, सागर के प्रकरण क्रमांक 631/अ–6/2006–07 में पारित आदेश दिनांक 05.09.2008 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि स्वर्गीय वंशगोपाल पिता गजाधर, निवासी खजराहों को मकान निर्माण हेतु भूमि खसरा क्रमांक 1775/1 रकवा 0.012 हैक्टेयर भूमि तहसीलदार राजनगर के क्रमांक 08/बी–121/1962–63 में पारित आदेश दिनांक 10.04.1963 द्वारा प्रदाय की गयी थीं। चूंकि भूमि मकान निर्माण हेतु प्रदाय की गयी थी, इसलिए उसका भू–परिवर्तन करके भू–भाटक के रूप 1.02 रूपये भू–राजस्व निर्धारित किया गया, जिसका समय–समय पर प्रदाय किया गया। आवेदक का नाम वर्ष 1993 से लेकर सन् 1992–93 तक खसरे में उसका नाम विधिवत दर्ज रहा। इस प्रकार 30 वर्षो तक भूमि उसके नाम रही। वर्ष 1993 में तहसीलदार राजनगर द्वारा स्वप्रेरणा निगरानी दर्ज करते हुए विधि–विरूद्ध कार्यवाही कर आवेदक की भूमि को शासकीय दर्ज करने का आदेश अपने प्रकरण क्रमांक 35/अ–6अ/1992–93 में पारित आदेश दिनांक 04.05.1993 पारित कर भूमि को शासकीय घोषित कर दिया गया, जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा अपील अनुविभागीय अधिकारी, राजनगर के समक्ष प्रकरण क्रमांक 28/1993–94 प्रस्तुत की गयी थी, जो आदेश दिनांक 07.05.1994 को	

स्वीकार कर प्रकरण तहसीलदार राजनगर को प्रत्यावर्तित किया, जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गयी, जो आदेश दिनांक 05.09.2008 को निरस्त कर दी गयी। इसी आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

3– निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओ पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4– आवेदक अभिभाषक ने तर्को में बताया कि जानकारी दिनांक से यह निगरानी समय सीमा के अंदर प्रस्तुत की गयी है, जो सुनवाई योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त, सांगर संभाग, सागर द्वारा साक्ष्य के विपरीत आदेश पारित किया है तथा अनुविभागीय अधिकारी राजनगर के आदेश पर विधिवत विचार नहीं किया है, जबकि उनके द्वारा प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया था, जिसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी, ऐसी स्थिति में जो आदेश अपर आयुक्त, सांगर संभाग, सागर द्वारा पारित किया गया है, वह निरस्त किया जाये एवं तहसीलदार राजनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.04.1963 को स्थिर रखे जाने का निवेदन किया गया।

5– म0प्र0 शासन की ओर से उपस्थिति अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि वर्तमान निगरानी अवधि वाह्य है, अतः मात्र इसी बिन्दु पर अमान्य किये जाने योग्य है।

6– अभिभाषकों द्वारा किये गये तर्को एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार राजनगर द्वारा विधिवत प्रक्रिया का पालन करते हुए भूमि खसरा क्रमांक 1775/1 रकवा 0.012 है0 का आबंटन आवास हेतु प्रकरण क्रमांक 08/ बी–121/1962–63 में पारित आदेश दिनांक 10.04.1963 को किया गया था, जिसके पश्चात् वर्ष 1992–93 तक आवेदक का नाम खसरे में विधिवत रूप से दर्ज

रहा है। किन्तु तहसीदार राजनगर द्वारा वर्ष 1993 में स्वप्रेरणा निगरानी में प्रकरण पंजीबद्ध कर आदेश दिनांक 04.05.1993 से आवेदक के हित में किया गया आबंटन आदेश निरस्त कर दिया। जिसका अधिकार तहसीलदार को नहीं था क्योंकि उपरोक्त प्रकरण में आवेदक को विधिवत सुनवाई का अवसर ही प्रदान नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में तहसीलदार राजनगर का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। आवेदक द्वारा अपील प्रस्तुत किये जाने की दशा में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु तहसीलदार राजनगर को गुण–दोषों पर आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया है, जबकि उन्हें प्रकरण का निराकरण गुण–दोषों पर करना चाहिए था क्योंकि उपरोक्त प्रकरण वर्ष 1963 का है। ऐसी स्थिति में अत्यधिक लम्बे समय का प्रकरण होने से उसे प्रत्यावर्तित किये जाने से और अधिक समय लगना सुनिश्चित है, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी, राजनगर का आदेश उचित नहीं है। प्रकरण में जो आदेश अपर आयुक्त, सांगर संभाग, सागर द्वारा पारित किया गया है, उसमें उपरोक्त स्थिति पर कोई विचार नहीं किया है और ना ही आदेश सकारण है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त आदेश को स्थिर रखने का कोई औचित्य नहीं है। जहॉ तक शासन की ओर से उपस्थिति अधिवक्ता का तर्क है कि वर्तमान निगरानी अवधि वाह्य है, जबकि प्रकरण में आवेदक की ओर से अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र प्रस्तुत कर बताया है। अधीनस्थ न्यायालय एवं उनके अभिभाषक द्वारा आदेश की जानकारी नहीं दी गयी, तब अन्य अभिभाषक से सम्पर्क कर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की गयी है, तब उन्हें आदेश दिनांक 05.09.2008 की वास्तविक जानकारी हुयी। न्यायदृ टांत वशीरबी बनाम अब्दुल वहाव 1983 जे.एल.जे. (शार्टनोट – 57) में स्पष्ट किया गया है कि अभिभाषक की त्रुटि के लिए पक्षकार को दण्डित नहीं कराना चाहिए एवं न्याय हेतु मामला गुणागुण पर

विनिश्चित करना चाहिए, अतएव आवेदक द्वारा अवधि विधान की धारा 5 में दिया गया विवरण समाधानकारक होने से बिलम्ब क्षमा किया जाता है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, सांगर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 631/अ6/06–07 में पारित आदेश दिनांक 05.09.2008 तथा अनुविभागीय अधिकारी, राजनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 28/ 1992–94 में पारित आदेश दिनांक 07.05.1994 तथा तहसीलदार, तहसील राजनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 35/अ–6अ/1992–93 में पारित आदेश दिनांक 04.05.1993 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं एवं तहसीलदार राजनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 08/बी–121/1962–63 में पारित आदेश दिनांक 10.04.1963 विधिवत होने से स्थिर रखे जाने का आदेश दिया जाता है एवं तहसीलदार राजनगर को निर्देशित किया जाता है कि वह आवेदक दिलीप सिंह का नाम पूर्ववत राजस्व अभिलेखों में दर्ज करें। इसी निर्देश के साथ वर्तमान प्रकरण समाप्त किया जाता है।

सदस्य